न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर
पीठासीन अधिकारीः— जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः— 64/2018/अपील

1 बंशी पुत्र हीराराम
2 प्रभू पुत्र हीराराम
3 जगदीश पुत्र हीराराम
समस्त जाति जाट निवासी बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर

अपीलान्ट

बनाम

1 बीरबल पुत्र हरदेवा
2 नानूराम पुत्र बिड़दूराम
3 जवाहरसिंह पुत्र शंकर
4 कजोड़मल पुत्र पन्नाराम
5 चौथमल पुत्र पन्नाराम
6 रामपाल पुत्र धन्नाराम
7 गणपत पुत्र कानाराम

समस्त जाति जाट निवासी बावड़ी तहसील खण्डेला जिला सीकर

रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 31.05.2018 मु.न. 03/2018 अनुवानी बीरबल बनाम प्रभू आदि द्वारा न्यायालय तहसीलदार खण्डेला

वकील अपीलांट श्री विनोद कुमार सरोज
वकील रेस्पोडेंट श्री रामेश्वरलाल बिजारणिंया

निर्णय **दिनांकः—29.08.2019**

संक्षेप में तथ्य अपील इस प्रकार है कि रेस्पो0 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय मे एक आवेदन इस आशय का पेश किया की भूमि खसरा नं. 1178/3, 1179/3, 1192/2, 1191/2 गै.मु. रास्ता भूमिया है। उक्त रास्ता ग्राम बावड़ी से लाखनी आने वाले आम रास्ता से निकलकर ढाणी मुण्डावाली व ढाणी खात्यावाली को आता है। उक्त रास्ते पर बंशी, प्रभू, जगदीश पुत्रगण हीराराम के परिवार के सदस्यों द्वारा अतिक्रमण कर लिया है। अतः भूमि खसरा नं. 1178/3 गै. मु. रास्ता से अतिक्रमण हटवाया जाकर रास्ते को पुनः चालू करवाया जावे। अप्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि खसरा नं. 1178 के 1/2 हिस्से की खातेदारी बंशी वगै0 के नाम चली आ रही है। उक्त कृषि भूमि मे कोई रास्ता नही रहा है। रेस्पो0 द्वारा नाजायज गिरोह बनाकर बाला बाला रूप से बंशी वगै0 की खातेदारी भूमि मे से गोपनीय तरीके से चार टुकड़ो मे विभाजित कराकर नये खसरा नं. 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/4 दर्ज करवा दिये। जिसमें 1178/3 मे गै. मु. रास्ता दर्ज करवा दिया। उक्त आवेदन निरस्त किये जाने बाबत अंकित कर जवाब प्रस्तुत किया गया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2018

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
अति. जिला कलक्टर सीकर

कर्मचारीयो से साजकर गोपनीय तरीके से उक्त कुषि भूमि को विभाजित कराकर नये खसरा नं. 1178/1, 1178/2, 1178/3, 1178/4 दर्ज करवा दिये एवं 1178/3 रकबा 0.03 है0 मे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवा दिया गया। अपीलान्ट की उक्त कृषि भूमि मे कोई रास्ता कभी भी नही रहा है। अपीलान्ट को बिना सुचना दिये ही पटवारी से साजकर उक्त रास्ता होने बाबत रिपोर्ट तैयार करवायी जाकर उक्त कार्यवाही बाला बाला की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए उक्त निर्णय पारीत किया गया है। पटवारी द्वारा खसरा नं. 1178 मे प्रचलित रास्ता होना अंकित कर रिपोर्ट दी जाकर उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड मे अंकित कर दिया गया। पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उक्त प्रचलित रास्ता खसरा नं. 1178 मे होने बाबत किसी भी प्रकार का कोई आधार का अंकन नही किया गया है। अपीलान्ट की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड मे रास्ते बाबत कोई अंकन नही है। पटवारी द्वारा केवल मात्र अपीलान्ट को नुकसान पहुचाये जाने की गरज से उक्त कार्यवाही बाला बाला की गई है। पटवारी द्वारा की गई जॉच बाबत अपीलान्ट को कोई सुचना नही दी गई। इसी कारण उक्त गलत रिपोर्ट अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे तैयार की गई है। पटवारी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट के कारण अपीलान्ट की कृषि भूमि 4 टुकडो मे राजस्व रिकार्ड मे बांट दी गई एवं अपीलांट की कृषि भूमि के मध्य से रास्ता राजस्व रिकार्ड मे दर्ज कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय मे उक्त तथ्य अंकित किये जाने के बावजुद अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों पर मनन किये बिना ही केवल मात्र पटवारी रिपोर्ट को आधार मानकर उक्त निर्णय पारीत किया गया है। अपीलान्ट की कृषि भूमि मे कोई रास्ता पूर्व मे या रिकार्ड मे नही था, ना ही उक्त रास्ता वर्तमान मे प्रचलन मे है। पटवारी द्वारा इसे प्रचलित रास्ता बताया जाकर उक्त रास्ते को बांटे जान का आधार मानकर निर्णय दिया गया है। कृषि भूमि मे कृषक द्वारा अपनी कृषि भूमि को 4 टुकड़ो मे बांटा जान सम्भव नही है। पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के उक्त रिपोर्ट दी गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट पर आक्षेप लिये जाने एवं सूचना दिये जाने के बिन्दु पर कोई मनन नही किया गया। अधिनस्थ न्यायायल द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का बावड़ी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट की सत्यता की जांच किये बिना ही उक्त रिपोर्ट के आधार पर पूर्व मे प्रचलित रास्ता होने एवं उसे अपीलान्ट द्वारा बन्द कर दिये जाने का अंकन कर उक्त निर्णय विधि विरूद्ध तरीके से पारित किया गया है। इस कारण उक्त निर्णय निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर योग्य अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2018 को निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पटवारी हल्का की रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी खण्डेला के आदेश द्वारा राजस्व रिकार्ड में रास्ता दर्ज किये जाने के आधार पर पारित किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध हल्का पटवारी की रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 1178/3 रकबा 0.03 है0 किस्म गै.मु.रास्ता पर मौके पर उक्त रास्ते को प्रभूदयाल, बंशीधर पिता हीरालाल जाति जाट द्वारा छड़िया लगाकर मौके पर बन्द कर दिया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2017 द्वारा ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.05 है0 भूमि को गै.मु.रास्ता दर्ज किये जाने बाबत आदेश पारित किया हुआ है एवं उसके पश्चात उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
अति. जिला कलक्टर, दौसा

जयपुर के समक्ष अपील संख्या 33/2018 प्रस्तुत की गई जिसमें न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा निर्णय दिनांक 19.03.2019 पारित कर अंकित किया है कि "अपीलांट्स की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.05 है0 की हद तक अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला दिनांक 13.01.2017 निरस्त करते हुये प्रकरण उन्हे अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिपेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किये जाने का मौहताज है। परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर दिनांक 13.01.2017 अपीलांट्स की खातेदारी भूमि ग्राम बावड़ी के खसरा नम्बर 1178 रकबा 0.05 है0 की हद तक निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर को अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर विधि के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।" न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.03.2019 के विरूद्व न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में अपील संख्या 1913/2019 प्रस्तुत की गई। न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में प्रस्तुत अपील की वर्तमान स्थिति के सम्बंध में पत्रावली पर कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। विवादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2017 के विरूद्व न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 19.03.2019 पारित कर न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.01.2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण मे अपीलांट्स को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया। न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.03.2019 की पालना के सम्बंध में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खण्डेला द्वारा की गई कार्यवाही के सम्बंध में कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खण्डेला द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.05.2018 में उपरोक्त तथ्यों के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है एवं वादग्रस्त आराजियात से सम्बंधित न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के न्यायालय में विचाराधीन अपील के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट एंवं मौके की स्थिति के अनुसार निर्णय पारित किया है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय उपरोक्त सम्पूर्ण तथ्यों की जांच किये बिना एवं प्रकरण के सम्बंध में अन्य उच्च न्यायालय में वाद/अपील विचाराधीन होने के सम्बंध में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण तहसीलदार खण्डेला को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण के सम्बंध में उभयपक्षकारान को साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए एवं वादग्रस्त आराजियात के सम्बंध में अन्य उच्च न्यायालय के समक्ष वाद/अपील विचाराधीन होने सम्बंधी सम्पूर्ण तथ्यों की जांच करते हुए पुनः निर्णय पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/19

सत्यमेव जयते
Web Copy, Not official